धनी बनाम केसी व अन्य
प्र0सं0—: 57 / 2023(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—29.08.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या — 57 / 2023 रे.वाद
दायर दिनांक — 28 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक — 29 / 08 / 2025

अनवान

1. धनी पुत्री कालू बलाई निवासी लाल जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
---वादी

बनाम

1. केसी पुत्री भूरा जाति सालवी निवासी लाल जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से — लादूनाथ योगी, अधिवक्ता।

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादिया ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि यह कि डालु पिता भूरा जी बलाई निवासी लाल जी का खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में राजस्व रेकार्ड में ग्गाम लाल जी का खेडा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ के पुर्व सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 12 खसरा संख्या 98 रकबा 7 विस्वा, खसरा संख्या 100 रकबा 6 विस्वा, खसरा संख्या 103 रकबा 13 विस्वा, खसरा संख्या 104 रकबा 8 विस्वा, खसरा संख्या 105 रकबा 1.04 बीघा कुल किता 5 रकबा 2.18 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। डालु पिता भुरा बलाई ने उक्त कृषि भूमि बाबत् एक रजिस्टर्ड वसीयत मौतबीरो के समक्ष दिनांक 27.06.2017 को उपपंजियक देवगढ के यहा निष्पादीत कराई जिसके दस्तावेज नम्बर 201701487001219 है उक्त रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा डालु पिता भुरा बलाई ने अपनी समस्त कृषि भूमि एव आवासीय मकान मुझ वादीया को जरीये अन्तीम इच्छा डालु के स्वर्गवास के बाद प्रदान करने बाबत् निष्पादन कराया । डालु पिता भुरा बलाई का स्वर्गवास दिनांक 31.07.2017 को ग्राम लाल जी का खेडा पटवार हल्का कुन्दवा में हुआ तव से लगायत आज दिन तक उक्त कृषि भूमी एवं मकान पर निरन्तर निर्बाध रूप से विना किसी वाधा के अविरल वादीया उपयोग उपभोग कर रही है वादीया अन्तीम वसीयत

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पत्र अनुसासर उक्त जायदाद सम्पती कि तन्हा स्वामी हुई वादीया ने ही डालु पिता भुरा बलाई लाऔलाद फोत हुये उनकी मृत्यु के बाद समस्त सामाजिक रशम रिवाज सम्पन्न कराये एवं उसमें होने वाले समस्त व्यय भी वादीया ने वहन किया । वादीया डालु जी के द्वारा प्रदान कि गई सम्पदा कृषि भूमी पर काबिज हुई। वादीया अनपढ थी एवं अपनी आराजियात पर काबिज थी इसी बीच आज से करीब 15 रोज पुर्व प्रतिवादी संख्या 1 वादीया कि भूमी पर आई एवं वादीया को धमकी दी कि उक्त भूमी मेरी है तुम भूमी खाली करके जाओ यहा खेती बुवाई नही कर सकती तब वादीया ने कहा कि उक्त भूमी मुझे तो डालु जी ने दी है एवं मै ही इसकी स्वामिनी हु तब प्रतिवादी विवाद करने लगे कि जमीन तो मेरे नाम पर है तभी वादीया ने पटवार हल्का कुन्दवा से सम्पर्क किया एवं राजस्व रेकार्ड कि नकले देखी तो वादीया को आश्चर्य हुआ कि भूमी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत रूप से अपने नाम कराने का शपथ पत्र दे डालु कि मृत्यु के बाद विरासत में लाओलाद फौत होने पर बहिन होने के कारण नामान्तरण कि कार्यवाही की एवं जरीये नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 08.05.2023 को पटवार हल्का से मिल भूमी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा ली जबकि उक्त कृषि आराजियात का नामान्तरण जरीये रजिस्टर्ड वसीयत नामा से खुलना था उक्त नामान्तरण खोले जाने से पूर्व वादीया को कोई जानकारी नही हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में जो नामान्तरण दर्ज किया गया वो नामान्तरण प्रारम्भ से ही वादीया के हक व प्रभाव के मुकाबले शुन्य है क्योकि डालु पिता भुरा ले जरीये रजिस्टर्ड वसीयतनामे से उक्त कृषि आराजियात वादीया को जरीये अन्तीम प्रदान की एवं उक्त भूमी पर वादीया निरन्तर रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही थी। वादग्रस्त आराजियात ग्राम लाल जी का खेडा पटवार हल्का कुन्दवा वर्तमान सेटलमेंट सम्वत् 2076 के बाद नवीन खाता संख्या 14 खसरा संख्या 120 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 122 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 126 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 127 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 128 रकबा 0.2600 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.6400 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुये। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज होने पर प्रतिवादी वादीया को भूमी से बेदखल करने कि धमकिया दे रही है भूमी को विक्रय, बय, बक्षीस हस्तानान्तरण करने कि धमकिया भी दे रही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से विरासत से दर्ज हुआ है जबकि वादीया उक्त भूमी जरीये रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त है वादीया निरन्तर रूप से अपनी भूमी पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही है। वादीया उक्त भूमी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में जरीये घोषणा दर्ज कराने कि अधिकारीणी है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। वह वादीया के हक हकुक कि भूमी पर किसी प्रकार से वादीया के द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग में बाधा एवं दखल अन्दाजी स्वयं अपने रिश्तेदार, नौकरी, चाकर या

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

ऐजेन्ट के मार्फत नही करे वादीया कि भूमी पर अवैध रूप से प्रवेश नही करे इसके साथ ही वादीया कि भूमी जो राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गई है उक्त भूमी को किसी अन्य को बय, बक्षीस या अन्य किसी हस्तानान्तरण विलेख निष्पादीत नही करे वादीया कि भूमी को खुर्द बुर्द नही करे इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने कि अधिकारी है। आज से 15 रोजपुर्व प्रतिवादी संख्या 1 भूमी पर आई एवं भूमी को खुर्द बुर्द करने कि धमकिया दी तब वादीया ने राजस्व रेकार्ड में नकले ली तब से वाद हेतुक उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार देवगढ राज्य सरकार का प्रतिनिधि एवं इन्द्राज का संधारक होने से उन्हे वाद का आवश्यक पक्षकार होने के अभाव मे पक्षकार बनाया गया है। वादिया निम्न दाद चाहते है कि वादीया निम्न अन्तिम दाद चाहते है कि ग्राम लाल जी का खेडा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में वर्तमान सेटलमेंट सम्वत् 2076 के बाद नवीन खाता संख्या 14 खसरा संख्या 120 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 122 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 126 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 127 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 128 रकबा 0.2600 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.6400 हैक्टर भूमी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करते हुये वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये राजस्व खातेदार घोषित फरमाया जावें एवं इसी आशय कि डिकी जारी फरमायी जावें। वाद ग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे कास्त एवं उपयोग उपभोग में कोई दखल अन्दाजी स्वयं अपने नौकर चाकर ऐजेन्ट द्वारा नही करे । प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमी को बय, बक्षीस, हस्तानान्तरीत, विकय नहीं कर उसका कोई रूप परिवर्तन नही करे इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें। दौराने वाद वाद ग्रस्त आराजियात को कोई खुर्द बुर्द एवं परिवर्तन कर देते है तो जरीये आज्ञापक आज्ञप्ति पुनः पुर्ववत अनुसार किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। अन्य कोई दाद जो वादी को मिल सकती है वह प्रतिवादी से दिलाई जावे। विशेष हर्जा खर्चा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं किया गया जिससे प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारी के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही जाने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के समर्थन में धनी, सांवरमल सालवी, सवाईसिंह के शपथ पत्र पेश किए गए। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

धनी बनाम केसी व अन्य
प्र0सं0—: 57 / 2023(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—29.08.2025

वादिया द्वारा दिनांक 27.06.2017 को पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादिया वादग्रस्त आराजीयात की विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी की ओर से पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.06.2017 की वैधता के संबध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से वसीयत दिनांक 27.06.2017 विधिवत पंजीकृत है तथा गवाहों के बयान से इसकी प्रमाणिकता सिद्व होती है। वादिया विवादित संपत्ति का विधिक स्वामी है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम लाल जी का खेड़ा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द मे स्थित खाता संख्या 14 खसरा संख्या 120, 122, 126, 127, 128 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर वादिया को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिया को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

धनी बनाम केसी व अन्य
प्र0सं0—: 57 / 2023(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—29.08.2025

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :—57 / 2023

अनवान

1. धनी पुत्री कालू बलाई निवासी लाल जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
——वादी

बनाम

1 केसी पुत्री भूरा जाति सालवी निवासी लाल जी का खेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द
—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से — लादूनाथ योगी, अधिवक्ता।

में इस आशय मे दिनांक 29.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम लाल जी का खेड़ा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 14 खसरा संख्या 120, 122, 126, 127, 128 कुल किता 05 कुल रकबा 0. 6400 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर वादिया को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिया को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द